फा.सं. 4-181/2017-18/रा.म.आ.

राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली- 110025

तारीख: 12 जुलाई, 2017

विषय: आयोग की 173वीं बैठक का अभिलेख टिप्पण।

आयोग की 173वीं बैठक तारीख 27 अप्रैल, 2017 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, के एबी-3, पंडारा रोड, नई दिल्ली 110003 पर स्थित शिविर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जो विचार विमर्श और विनिश्चय किया गया उसके अभिलेख टिप्पण की प्रति जानकारी के लिए संलग्न है।

(वी.वी.बी.राजू)
उप सचिव

सेवा में:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सदस्य(रेखा शर्मा), सदस्य(सुषमा साहू), सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
3. सदस्य-सचिव के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
5. उप सचिव के निजी सहायक
6. अवर सचिव(आर.सी.)/वेतन और लेखा अधिकारी

प्रति: ज्येष्ठ प्रोग्रामर राष्ट्रीय महिला आयोग: लोकल सर्वर में इसे अपलॉड करने के लिए

<u>आयोग की 173वीं बैठक का कार्यावृत्त</u>

माननीय अध्यक्ष के शिविर कार्यालय में तारीख 27 अप्रैल, 2017 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में बैठक आयोजित की गई। ब्यौरेवार विचार-विमर्श करने के पश्चात् आयोग द्वारा निम्नलिखित विनिश्चय किया गया:-

(1) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की रिट याचिका (सि.) सं. 6281/1998, 6386/1998, 6429/1998 और 6640/1998 में तारीख 05 अक्तूबर, 2013 के आदेश का तुरन्त अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

(2) अस्थायी सेवा कर्मचारियों और दैनिक मजदूरी के कर्मचारियों की उपलब्धियां माननीय उच्च न्यायालय के तारीख 05 अक्तूबर, 2013 के निर्णय के अनुसार होगी, और उनको नियुक्त करने के निबन्धन और शर्तें, राष्ट्रीय राजधानी की सरकार के श्रम विभाग की समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा परिभाषित दैनिक मजदूरों के अनुसार होगी।

यह अप्रैल 2017 की उपलब्धियों से ही लागू होगा ।

सदस्य (आर.एस.)   सदस्य (एस.एस.)   सदस्य (ए.आर.)   सदस्य-सचिव

अध्यक्ष